उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–33/2019–20

PUNJAB NATIONAL BANK, B. S. CITY

बनाम्

RAM ASRESH RAM PASWAN

–: आदेश :–

13.02.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर–4, बी0एस0सिटी, बोकारो द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी श्री राम अशरेश पासवान पिता स्व0 देवित लाल, क्वा0 नं0 F/A-02 D.V.C Colony, Near D.V.C Hospital Chandrapura, PO & PS-Chandrapura, Bokaro के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर–4, बी0एस0सिटी, बोकारो की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Flat No. A/4, area-700 sq. ft. on third floor of Sai Baba Apartment, situated at Chira Chas, Mouza-Chas, Thana No. 30, Khata No. 94, Plot NO. 641, District-Bokaro) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 14,56,000.00 (चौदह लाख छप्पन हजार) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1 & 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। उनके द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की राशि

वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर-4, बी0एस0सिटी, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.24 20:30:00 +05:30
Location: 192.168.91.234